8– निविदा की शर्तें दोनों ही पक्षों को मान्य होंगी तथा इसे माना जाना दोनों हेतु बाध्यकारी होगा।

9– सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

10– साईकिलों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में स्थित श्रम कार्यालयों–हल्द्वानी, रूद्रपुर, टनकपुर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, कोटद्वार में पहुँचाना होगा। **(अर्थात राज्य के समस्त मैदानी तथा अर्द्ध मैदानी जिलों में)**

11– निविदादाता को वित्तीय निविदा में अंकित किये गये विवरणानुसार सम्पूर्ण मूल्य सहित निविदा प्रस्तुत करनी होगी। कुल न्यूनतम मूल्य तथा गुणतत्ता के अनुसार ही न्यूनतम निविदा डालने वाली फर्म को आपूर्ति हेतु चयनित किया जाएगा।

12– सम्पूर्ण सामग्री की दरें उपरोक्त स्थानों पर आपूर्ति करने के लिये देनी होंगी। किसी भी प्रकार से अलग से कोई किराया, लोडिंग/अन्लोडिंग चार्जेज, किसी भी प्रकार का कोई कर या अन्य किसी भी प्रकार की कोई धनराशि अलग से नहीं दी जायेगी अर्थात सामग्री की दरों में ही इन सब का समावेश किया हुआ माना जायेगा।

13– निविदादाता को उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा जमा करते समय पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति जमा किया जाना आवश्यक होगा।

14– निविदादाता/फर्म का आयकरदाता होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

15– निविदा में उल्लिखित सामग्री की बाजारी दरें ज्ञात करने के लिए श्रम आयुक्त द्वारा गठित समिति के माध्यम से मार्केट सर्वे भी किया जा सकता है तथा निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों की उससे तुलना की जा सकती है। यदि निविदा के माध्यम से प्राप्त दरें, मार्केट सर्वे के माध्यम से प्राप्त दरों से अधिक होंगी तो न्यूनतम निविदा डालने वाली फर्म से निगोशियेशन किया जाएगा तथा आपसी सहमति से दरें कम कराई जायेंगी और उसे लगभग बाजारी दरों पर लाया जाएगा।

16– निविदादाता को निविदा फार्म जमा करते समय सामग्री का एक सैम्पल जमा करना आवश्यक होगा, सैम्पल में निविदादाता का नाम व पता उल्लिखित होना चाहिये। निविदा स्वीकृत होने पर सैम्पल के रूप में जमा की गई यह सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखी

श्रम आयुक्त हल्द्वानी उत्तराखण्ड
उप श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी.